मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2008 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 7 जुलाई, 2008 (आषाढ़ 16, 1930)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख -

(1) श्री मोहम्मद मकबूल डार, पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री,
(2) श्री अमृतलाल तारवाला, भूतपूर्व संसद सदस्य,
(3) श्री चिरोंजीलाल गुप्ता, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(4) श्री बंशीलाल धृतलहरे, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(5) श्री हिम्मत सिंह परतेती, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(6) कुंवर मनोहर सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(7) सुश्री निर्मला देशपांडे, सुप्रसिद्ध समाज सेविका; तथा
(8) श्री एस.एच.एफ.जे. मानेकशॉ, भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री अंतर सिंह आर्य, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे :-

(1) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (क्रमांक 1 सन् 2008),
(2) मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (क्रमांक 2 सन् 2008); तथा,
(3) मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अध्यादेश, 2008 (क्रमांक 3 सन् 2008).

4. फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267-क के अधीन फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. सभा द्वारा यथापारित तथा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाए गए मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 33 सन् 2003) का पटल पर रखा जाना.

7. सभा द्वारा यथापारित महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 (क्रमांक 23 सन् 2006) के संबंध में महामहिम राज्यपाल की ओर से प्राप्त संदेश का पढ़ा जाना तदुपरांत पुनर्विचार के लिए लौटाए गये विधेयक को पटल पर रखा जाना.

8. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

9. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री आरिफ अकील, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री रामनिवास रावत, सदस्य, प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदी में अनियमितता होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के लहार स्थित शासकीय महाविद्यालय में प्राध्यापकों की कमी से शैक्षणिक कार्य प्रभावित होने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

10. सभापति तालिका की घोषणा

11. वक्तव्य

श्री रूस्तम सिंह, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, दिनांक 4 मार्च, 2008 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्रमांक 93) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 7 सन् 2008) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 8 सन् 2008) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 9 सन् 2008) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगी.

(4) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 10 सन् 2008) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(5) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 11 सन् 2008) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(6) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 12 सन् 2008) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(7) श्री जयंत मलैया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, इन्दौर स्पेशल इकॉनामिक ज़ोन (स्पेशल प्रोविजन्स) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 13 सन् 2008) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(8) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 14 सन् 2008) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(9) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश चिकित्सक तथा चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा विधेयक, 2008 (क्रमांक 15 सन् 2008) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(10) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 16 सन् 2008) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(11) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 17 सन् 2008) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(12) श्री जयंत मलैया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन विधेयक, 2008 (क्रमांक 18 सन् 2008) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 6 जुलाई, 2008